न्यायालयः- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी-नीलम मीणा आर.जे.एस.

नम्बरी फौजदारी-662/2018

सीएफएन नं.- 214/2017

सीएनआर नं.:-**RJCH070013262018**

सुधीर पुत्र हरपाल सिंह निवासी वार्ड नं. 02 कस्बा राजगढ़ जिला चूरू

...............परिवादी

बनाम

जयप्रकाश पुत्र भंवर लाल निवासी हनुमान मंदिर के पास, वार्ड नं. 12 कस्बा राजगढ़ जिला चूरू

...............अभियुक्त

-:अन्तर्गत धारा 138 नेगोसिएबल इंस्ट्रमेंट एक्टः-

उपस्थित-

1. श्री **अशोक सिंह पूनियां** विद्वान अधिवक्ता, परिवादी पक्ष ।
2. श्री **अजय सिंह** विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त पक्ष ।

-:निर्णयः- दिनांकः-18.03.2026

1. हस्तगत परिवाद परिवादी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व दिनांक 13.07.2017 को इस न्यायालय में पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी की दुकान बैरासरिया चश्मा केंद्र के नाम से राजगढ़ में स्थित है। जिस कारण मुलजिम का परिवादी की दुकान पर आना जाना रहा है व मुलजिम से अच्छी जान पहचान व उठ बैठ रही है। इसी जान पहचान के चलते मुलजिम ने परिवादी से अपनी घरू आवश्यकता के लिए दिनांक 10.02.2017 को 2 लाख रूपये की 04 माह के लिए परिवादी से मांग की, जिस पर परिवादी ने उसी दिन अभियुक्त को 2 लाख रूपये नकद उधार दिए। उक्त उधार दी गई राशि की मांग परिवादी द्वारा मुलजिम से करने पर मुलजिम ने एक चैक संख्या 724303 दिनांक 05.06.2017 राशि 2,00,000/-रूपये बैंक पंजाब नेशनल बैंक शाखा राजगढ़ जिला चूरू का हस्ताक्षरित कर दिया। परिवादी ने उक्त चैककृत राशि के भुगतान हेतु चैक को अपने खाता वाला बैंक में पेश किया, जहां से उक्त चैक अभियुक्त के खाता से चैककृत राशि का भुगतान न किया जाकर उक्त चैक मय वापसी ज्ञापन दिनांक 14.06.2017 को “Funds insufficient” के पृष्ठांकन के साथ अनादृत

होकर परिवादी को उक्त असल चैक मय वापसी ज्ञापन सहित बिना भुगतान वापिस लौटा दिया गया, इस पर परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांकः 15.06.2017 का एक रजिस्टर्ड विधिक नोटिस मय ए.डी. अभियुक्त के पते पर भिजवाया, लेकिन मुल्जिम ने विधि द्वारा विहित अवधि में चैक में वर्णित राशि का भुगतान नहीं किया। अंत में परिवादी ने अभियुक्त से चैक राशि मय पैनल्टी अभियुक्त से दिलवाये जाने का निवेदन किया।

3. परिवादी की ओर से स्वयं के परिवाद पत्र के समर्थन में सरसरी सबूत के रूप में परिवादी ने स्वयं का शपथ पत्र पेश किया।

4. न्यायालय द्वारा दिनांक 25.09.2018 को अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत अपराध का प्रसंज्ञान लेकर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

5. अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 138 एन. आई. एक्ट में आरोप सारांश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया तो अभियुक्त ने आरोपित अपराध सुन व समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

6. साक्ष्य परिवादी में परिवादी की ओर से निम्न गवाहान को परीक्षित करवाया गया -

क्र.सं.	गवाह संख्या	गवाह का नाम	विवरण
01	सी.ड. 01	सुधीर	परिवादी
02	सी.ड. 02	सुरेश	परिवादी पक्ष

7. परिवादी पक्ष की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य निम्न दस्तावेज को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया हैः-

क्रम सं.	**प्रदर्शनी सं.**	**विवरण**
1	प्रदर्श पी 1	मूल चैक
2	प्रदर्श पी 2	रिटर्न मीमों
3	प्रदर्श पी 3	डाक रसीद
4	प्रदर्श पी 4	विधिक नोटिस

8. अभियुक्त को बयान अन्तर्गत धारा-313 द.प्र.सं. के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य को गलत

होना बताया और कथन किया कि उसे झूठा फंसाया है, वह निर्दोष है तथा साक्ष्य सफाई पेश करनी चाही तथा किसी दस्तावेजी साक्ष्य को पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया है।

9. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

10. न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु यह है कि-

A. ''क्या अभियुक्त ने परिवादी से अच्छी जान पहचान के कारण परिवादी से अपनी घरू खर्च के लिए दिनांक 10.02.2017 को 2 लाख रूपये उधार लिए और उक्त उधार ली गई राशि के विधिक भुगतान के दायित्व पेटे परिवादी को एक चैक संख्या 724303 दिनांक 05.06.2017 राशि 2,00,000/-रूपये बैंक पंजाब नेशनल बैंक शाखा राजगढ़ जिला चूरू का अपने हस्ताक्षरित दिया।

B. ''क्या उक्त चैक परिवादी द्वारा आहरण हेतु बैंक में पेश करने पर ''Funds insufficient'' की टिप्पणी के साथ दिनांक 14.06.2017 को अनादृत हो गया।

C. ''जिसकी सूचना परिवादी द्वारा दिनांक 15.06.2017 को जरिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा करने पर भी अभियुक्त ने विधि द्वारा विहित अवधि में चैक मे वर्णित राशि का भुगतान नहीं किया।

D.''क्या परिवादी पक्ष द्वारा समयावधि के अन्दर न्यायालय में परिवाद पेश किया।'' यदि हां तो उपयुक्त दंडादेश क्या होगा ?''

11. बहस उभय पक्ष सुनी गई। विद्वान् अधिवक्ता परिवादी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि परिवादी ने अपने परिवाद को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है और अभियुक्त को दोषसिद्ध करने का निवेदन किया, जबकि इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने अपनी बहस अंतिम में तर्क दिया की परिवादी अपने परिवाद को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है और अभियुक्त को दोषमुक्त करने का निवेदन किया।

12. उपरोक्त विचारणीय बिन्दू **ए तथा बी** के संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य तथा विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा अपनी बहस में दिए गए तर्क के पश्चात न्यायालय को यह देखना है कि क्या परिवादी ने यह साबित किया है कि परिवादी व मुलजिम की अच्छी जान पहचान रही है और इसी जान पहचान के चलते मुलजिम ने परिवादी से अपनी घरू आवश्यकता के लिए दिनांक 10.02.2017 को 2 लाख रूपये की 04 माह के लिए परिवादी से मांग की, जिस पर परिवादी ने उसी दिन अभियुक्त को 2 लाख रूपये नकद उधार दिए। उक्त उधार दी गई राशि की मांग परिवादी द्वारा मुलजिम से करने पर मुलजिम ने एक चैक संख्या 724303 दिनांक 05.06.2017 राशि 2,00,000/-रूपये बैंक पंजाब नेशनल बैंक शाखा राजगढ़ जिला चूरू का हस्ताक्षरित कर दिया। परिवादी ने उक्त चैककृत राशि के भुगतान हेतु चैक को अपने खाता वाला बैंक में पेश किया, जहां से उक्त चैक अभियुक्त के खाता से चैककृत राशि

का भुगतान न किया जाकर उक्त चैक मय वापसी ज्ञापन दिनांक 14.06.2017 को "Funds insufficient" के पृष्ठांकन के साथ अनादृत हो गया। इस संदर्भ में पत्रावली पर आयी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी ने अपने परिवाद व मुख्य परीक्षा में पेश शपथ पत्र में पूर्व वर्णित कथन के पैरा संख्या-02 को अभिकथित करते हुए इसके समर्थन में परिवादी ने मूल चैक प्रदर्श पी-01 तथा अनादृण मीमों प्रदर्श पी-02 को पेश कर प्रदर्शित करवाया है। अनादृण मीमों प्रदर्श पी-02 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें चैक अनादृण का कारण "Funds insufficient" बताया गया है।

13. परिवादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में चैक प्रदर्श पी-01 तथा अनादृण मीमो प्रदर्श पी-02 को अपने परिवाद और मुख्य परीक्षा में प्रस्तुत शपथ पत्र के समर्थन में पेश कर प्रदर्शित करवाया है। अभियुक्त द्वारा इस तथ्य से भी कोई इन्कारी नहीं की है कि उसके खाते से प्रशनगत चैक प्रदर्श पी-01 "Funds insufficient" के आधार पर अनादृत नहीं हुआ था। इस कारण परिवादी द्वारा प्रस्तुत चैक प्रदर्श पी-01 और अनादृण मीमों प्रदर्श पी-02 के संबंध में ऐसा कोई विवाद नहीं रहा कि यह दस्तावेज विहित समयावधि में बैंक में परिवादी द्वारा पेश नहीं किया गया हो और अभियुक्त के बैंक से धारा 138 में उपबन्धित एवं इस संबंध में सुस्थापित विधि में वर्णित आधार "Funds insufficient" के कारण अनादृत न हुआ हो। इस प्रकार प्रशनगत चैक को परिवादी द्वारा विहित समयावधि में बैंक में पेश करने और अनादृत होने के तथ्य के संबंध में हस्तगत प्रकरण में कोई विवाद नहीं रहा है।

14. उक्त विचारणीय बिन्दू के संबंध में न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियुक्त अपनी बचाव साक्ष्य द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा-118 व 139 में वर्णित उपधारणाओं का खण्डन करने में सफल हुआ है? इस विचारणीय बिन्दू के संबंध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का अपनी बहस में तर्क रहा है कि दौराने जिरह परिवादी चैक दिए जाने की दिनांक 15.06.2017 तथा बाद में दिनांक 05.05.2017 का कथन करता है, जबकि चैक में दिनांक 05.06.2017 है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो परिवादी द्वारा अपने परिवाद में अभियुक्त से दिनांक 05.06.2017 को रूपये के भुगतान हेतु 2 लाख रूपये का चैक दिए जाने का कथन करता है तथा चैक प्रदर्श पी-01 में भी चैक की दिनांक 05.06.2017 अंकित है तथा अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में भी चैक दिनांक 05.06.2017 को दिए जाने का कथन करता है, केवल दौराने जिरह चैक दिनांक 05.05.2017 के कथन के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को विवादित चैक ना दिया गया हो। उक्त चैक अभियुक्त द्वारा परिवादी को रूपये के भुगतान पेटे नहीं दिया गया हो ऐसी कोई साक्ष्य अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई है।

15. अधिवक्ता अभियुक्त का अपनी बहस में जहां तक यह तर्क कि उक्त विवादित चैक प्रदर्श पी-01 अभियुक्त द्वारा सुरेश कुमार को दिया गया था, जिसे परिवादी द्वारा

सुरेश के कहने पर चैक भरकर अपने खाते में लगाया है और अभियुक्त ने परिवादी से कोई रूपये उधार नहीं लिए। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि अभियुक्त द्वारा चैक सुरेश को दिया गया हो, इस संबंध में कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई है और ना ही स्वंय को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया गया है। जहां तक चैक परिवादी द्वारा गलत तरीके से भरकर स्वंय के नाम से लगाए जाने का प्रश्न है तो अभियुक्त द्वारा परिवादी के विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही की गई हो, ऐसी भी कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई है। वादगत चैक प्रदर्श पी-01 पर अभियुक्त द्वारा स्वंय के हस्ताक्षर होने से इंकार नहीं किया गया है। अतः अधिवक्ता का उक्त तर्क माने जाने योग्य नहीं है।

इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने न्यायालय का ध्यान माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत ***(2019) 4 SCC 197. 36. Bir Singh Vs Mukesh Kumar*** *की ओर आकृष्ट करवाया है जिसमें माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया है कि* ***"-38. If a signed blank cheque is voluntarily presented to a payee, towards some payment, the payee may fill up the amount and other particulars. This in itself would not invalidate the cheque. The onus would still be on the accused to prove that the cheque was not in discharge of a debt or liability by adducing evidence."***

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत ***2019 (2) CRIMINAL COURT CASES 090(S.C.) 353 ROHITBHAI JIVANLAL PATEL VS STATE OF GUJARAT & ANR.*** *में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया है कि* ***''20-On perusing the order of the Trial Court, It is noticed that the Trial Court proceeded to pass the order of acquittal on the mere ground of "creation of doubt" we are of the considered view that the Trial Court appears to have proceeded on a misplaced assumption that by mere denial or mere creation of doubt, the appellant had successfully rebutted the presumption as envisaged by Section 139 of the NI Act. In the scheme of the NI Act, mere creation of doubt is not sufficient."***

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत ***(2001) 8 SCC 458, K.N.Beena Vs Muniyappan and Another*** *में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया है कि* ***''This court held that in view of the provisions of Sections 139 of the Negotiable Instruments Act read with Section 118 thereof, the Court had to presume that the cheque had been issued for discharging a debt or liability. The said presumption was rebuttable and could be rebutted b the accused by proving the contrary. But mere denial or rebuttal by the accused was not enough. The accused had to prove by cogent evidence that there was no debt or liability. This Court clearly held that the High Court has erroneously set aside the conviction, by proceeding on the basis that denials/averments in the reply of the accused were sufficient to shift the burden of proof on the complainant to prove that the cheque had been issued for discharge of a debt or a liability. This was an entirely erroneous approach. The accused had to prove in the trial by leading cogent evidence that there was no debt or liability."***

16. ऐसे में परिवादी के परिवाद और शपथ पत्र में अंकित कथनों के संबंध में किसी प्रकार का किसी भी स्तर पर संदेह होना प्रकट नहीं होता है। परिवादी की प्रति

परीक्षा के समग्र अवलोकन से यह प्रकट है कि परिवादी ने अपनी प्रति परीक्षा में भी ऐसा कोई तथ्य या बिन्दु प्रकट नहीं किया जिससे न्यायालय का यह समाधान हो कि अभियुक्त ने परिवादी से किसी प्रकार का कोई संव्यवहार नहीं रहा हो। ऐसे में माननीय न्यायालय के उपरोक्त सम्मानित न्यायिक दृष्टांतों को मददेनजर रखते हुए अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता, जो अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा अधिवक्ता परिवादी का तर्क स्वीकार किया जाता है। अतः विचारणीय **बिंदू ए तथा बी** परिवादी के पक्ष में तथा अभियुक्त के विपक्ष में निर्णित किए जाते हैं।

17. विचारणीय **बिन्दू-सी** का जहां तक संबंध है तो अधिवक्ता अभियुक्त का अपनी बहस में ऐसा कोई तर्क नहीं रहा है कि अभियुक्त को नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। इस संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी ने अपने परिवाद व शपथ पत्र में कथन किया है कि उसने अपने अधिवक्ता के मार्फत एक रजिस्टर्ड नोटिस अभियुक्त के पते पर दिनांक 15.06.2017 को भिजवाया। पत्रावली में संलग्न नोटिस प्रदर्श पी-04 एवं डाक रसीद प्रदर्श पी-03 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस पर अभियुक्त का पता परिवाद में वर्णित पता अंकित है। अभियुक्त ने पत्रावली में ऐसी कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं कि जिससे साबित हो कि नोटिस तामिल के समय अभियुक्त उक्त पता पर स्थाई रूप से निवास नहीं कर रहा था। परिवादी ने अभियुक्त के ज्ञात अंतिम पते पर रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित करना जाहिर किया है जिसकी पुष्टि जरिए प्रदर्शपी-03 से होती है। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन के उपरान्त विचारणीय **बिन्दू सी** परिवादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

18. विचारणीय **बिन्दू डी** का जहां तक संबंध है कि परिवादी पक्ष द्वारा समयावधि के अंदर न्यायालय में परिवाद पेश किया या नहीं तो इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का कोई ऐतराज नहीं रहा है। अतः उक्त विचारणीय **बिन्दू-डी** अभियुक्त के विपक्ष में और परिवादी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

19. ऐसे में न्यायालय के मत में परिवादी पक्ष यह संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने परिवादी से अच्छी जान पहचान के कारण परिवादी से अपनी घरू खर्च के लिए दिनांक 10.02.2017 को 2 लाख रूपये उधार लिए और उक्त उधार ली गई राशि के विधिक भुगतान के दायित्व पेटे परिवादी को एक चैक संख्या 724303 दिनांक 05.06.2017 राशि 2,00,000/-रूपये बैंक पंजाब नेशनल बैंक शाखा राजगढ़ जिला चूरू का अपने हस्ताक्षरित दिया। उक्त चैक परिवादी द्वारा आहरण हेतु बैंक में पेश करने पर ''Funds insufficient'' की टिप्पणी के साथ दिनांक 14.06.2017 को अनादृत हो गया। जिसकी सूचना परिवादी द्वारा दिनांक 15.06.2017 को जरिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा करने पर भी अभियुक्त ने विधि द्वारा विहित अवधि में चैक मे वर्णित राशि का भुगतान नहीं किया।

20. न्यायालय के मत में अभियुक्त धारा 118 व 139 एन.आई. एक्ट की उपधारणाओं को खंडित करने में असफल रहा है। ऐसे में अभियुक्त को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

-:आदेशः-

21. अतः अभियुक्त जयप्रकाश पुत्र भंवर लाल निवासी हनुमान मंदिर के पास, वार्ड नं. 12 कस्बा राजगढ़ जिला चूरू को अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्त के पूर्व में न्यायालय में उपस्थित होने बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(नीलम मीणा)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजगढ़ जिला चूरू

22. सजा के प्रश्न पर सुना गया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए उसे परीविक्षा का लाभ दिए जाने का निवेदन किया। इसके जवाब में अधिवक्ता परिवादी ने अभियुक्त को विधि-अनुसार दंडित किए जाने का निवेदन किया। सुना गया। पुनः संपूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। वर्तमान में चैक अनादृण के मामलों में हो रही अभिवृद्धि और दैनिक जीवन में व्यक्तिगत तथा व्यापारिक एवं आर्थिक जगत में चैक के माध्यम से किये गये संव्यवहार की विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

-:दण्डादेशः-

23. फलतः अभियुक्त जयप्रकाश पुत्र भंवर लाल निवासी हनुमान मंदिर के पास, वार्ड नं. 12 कस्बा राजगढ़ जिला चूरू को अपराध अन्तर्गत धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत दोषसिद्धी के परिणामस्वरूप **06 माह** के साधारण कारावास एवं **3,05,000/- रूपये (तीन लाख पांच हजार रूपये)** की प्रतिकर राशि अधिरोपित की जाती है। अदम अदायगी उक्त प्रतिकर राशि अभियुक्त **01 माह** का साधारण कारावास अतिरिक्त रूप से भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि धारा 428 द.प्र.सं. के प्रावधानों के तहत उसकी मूल सजा में नियमानुसार समायोजित की जाए। अभियुक्त द्वारा प्रतिकर राशि **3,05,000/-रूपये (तीन लाख पांच हजार रूपये)**

न्यायालय में जमा करवाए जाने पर अपीलावधि व्यतीत होने पर परिवादी को नियमानुसार प्रतिकर राशि क्षतिपूर्ति स्वरूप अदा की जाए। अभियुक्त का सजा वारण्ट तुरंत तैयार हो। निर्णय एवं दण्डादेश की प्रति अभियुक्त को आज ही निःशुल्क आज ही प्रदान की जाए।

(नीलम मीणा)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजगढ़, जिला चूरू

24. **निर्णय आज दिनांक 18.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया व खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(नीलम मीणा)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजगढ़, जिला चूरू

RAVINDRA KUMAR
stenographer grade III
Digitally signed by RAVINDRA KUMAR
Date: 2026.03.19 12:07:22 +0500